

बिहारसरकार
समाहरणालय, लखीसराय
(जिला योजना कार्यालय)

TELE: 06346 - 232153
EMAIL: lakhisaraidpo@gmail.com

पत्रांक 670 / जि० यो०, दिनांक 26.11.18

प्रेषक,

जिला योजना पदाधिकारी,
लखीसराय।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।


विषय:- निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला योजना कार्यालय के अन्तर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की साफ सफाई हेतु निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन कराया जाना है। निविदा प्रकाशन हेतु निविदा प्रारूप संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त निविदा किन्ही दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,



जिला योजना पदाधिकारी
लखीसराय।

निविदा आमंत्रण

योजना एवं विकास विभाग; बिहार पटना के पत्रांक 5043 दिनांक 07.09.2016 के आलोक में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनान्तर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में साफ-सफाई हेतु निबंधित गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनी/फर्म से द्वि- लिफाफा प्रणाली अन्तर्गत मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग-अलग सील बंद रहेगी। निविदा की विस्तृत विवरणी एवं शर्तें लखीसराय जिले के वेबसाईट <http://lakhisarai.bih.nic.in> पर देखी जा सकती है। प्राप्त निविदाओं को नीचे दर्शाए निविदा संबंधी निर्देश के आलोक में खोली जायेगी। निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं। निविदादाता निविदा डालने के पूर्व जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र का भ्रमण कर कम्प्युटर सामग्री/ आंतरीक एवं वाह्य क्षेत्रफल/ग्रीन एरीया का क्षेत्रफल का आकलन कर लेंगे। ग्रीन एरीया का रख-रखाव भी करना होगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

निविदा दिनांक 14.12.2018 को 01:00 बजे अपराहन तक जिला योजना कार्यालय, लखीसराय में जमा किया जा सकता है, अगले दिन को 01:00 बजे अपराहन में उप विकास आयुक्त, लखीसराय के कार्यालय कक्ष में निर्णय हेतु खोला जायेगा।

तकनीकी निविदा की शर्तें:-

1. तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0- 10000.00 (दस हजार रूपयें) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, लखीसराय के नाम से देय होगा, संलग्न किया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का बना होना चाहिए। तकनीकी निविदा की शर्तों को पूरा करने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. निविदादाता संस्था/ कम्पनी/फर्म को संबंधित विभाग के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य है। निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. संस्था/ कम्पनी/फर्म के नाम से खोले गये खाता संख्या का विवरण देना अनिवार्य होगा।
4. संस्था/कम्पनी/फर्म का पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा के साथ निविदादाताओं को GST निबंधन की छाया प्रति संलग्न करना होगा
6. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने के शपथ पत्र देना होगा।


अन्य आवश्यक शर्तें:-

1. निविदा को दो प्रकार के लिफाफे में यथा (1) तकनीकी (2) वित्तीय अलग-अलग लिफाफे में बन्द कर लिफाफे के उपर जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र साफ-सफाई आउट सोर्सिंग सेवा से संबंधित निविदा स्पष्ट अक्षरों में उल्लेखित होना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा में सफल संस्था को एक सप्ताह के अन्दर लेवर लाईसेंस कर्मचारी राज्य बीमा निगम का निबंधन प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, तभी उनकी निविदा की सफलता स्वीकार की जाएगी।

3. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के आंतरिक एवं बाह्य सम्पूर्ण परिसर की साफ-सफाई के साथ-साथ कम्प्यूटर समग्री एवं टॉयलेट/यूरीनॉल की भी सफाई करनी होगी। सफाई का काम अनवरत कार्य अवधि तक चलता रहेगा। प्रतिदिन प्रतिवर्ग मीटर की दर से निविदादाता को वित्तीय निविदा में दर अंकित करना होगा, जिसके आधार पर न्यूनतम दर का निर्धारण होगा।
4. साफ-सफाई कार्यों के लिए सामाग्रियों की आपूर्ति संस्था को स्वयं करनी होगी।
5. उक्त निविदा में सफल निविदादाता के साथ 11 (ग्यारह) माह के लिए अनुबंध होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने के उपरान्त जिला योजना पदाधिकारी द्वारा अवधि विस्तार संबंधी निर्णय लिया जायेगा।
6. सफल निविदादाता को अनुबंध /एकरारनामा करने का समय 15 (पंद्रह) दिनों का दिया जायेगा।
7. निविदा को रद्द अथवा चयन करने का अधिकार अंतिम रूप से चयन समिति की होगी।
8. वित्तीय निविदा के दर में सभी प्रकार के कर सम्मिलित होंगे।
9. संस्था/कम्पनी/फर्म को प्रावधानित करों की कटौती के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।
10. संस्था/ कम्पनी/फर्म के द्वारा नियुक्त सफाईकर्मी 18 से कम एवं 50 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

वित्तीय शर्तें:-

1. आंतरिक परिसर एवं टॉयलेट का साफ-सफाई के लिए प्रति वर्ग मीटर दर अंकित करें।
2. बाह्य परिसर का प्रति वर्ग मीटर का सफाई का दर अंकित करें। बाह्य परिसर में ग्रीनफिल्ड एरीया शामिल रहेगा। जिसके लिए पौधो में पीन एवं रख-रखाव करना होगा।


 26/11/18
 जिला योजना पदाधिकारी,
 लखीसराय